EduCrea Bharatiya Multidisciplinary Journal of Education and Research

Vol. 1, Issue 1 (May-June 2025)

Website: *www.ebmjer.journal.educrea.in* ***(Online)*** **Pages 11-17**

वर्तमान परिदृश्य में एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रभाव

डॉ सुमन लता

प्राचार्य

एच.एल.एम. ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन, दुहाई गाजियाबाद

सार :

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था उसकी चुनाव प्रक्रिया की ऊर्जा पर टिकी है। ये प्रक्रिया नागरिकों को हर स्तर पर सरकार बनाने में भाग लेने का अवसर देती है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 400 से अधिक चुनाव हो चुके हैं, जिसमें लोकसभा और प्रदेशीय विधानसभा के चुनाव शामिल हैं। इन चुनावों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता की प्रतिबद्धता साफ दिखती है। बावजूद इसके, चुनाव का बार-बार और अलग-अलग समय पर होना असुविधा पैदा करता है। इस समस्या के समाधान के लिए "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का फिर से ध्यान आकर्षित हुआ है।

यह विचार, जिसे समकालीन चुनाव भी कहा जाता है, लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव है। इन चुनावों का समकालीन वक्त निर्धारित कर दिया जाएगा, ताकि वोटर एक ही दिन अपने क्षेत्र में दोनों चुनावों के लिए मतदान कर सके। हालांकि, देश भर में यह प्रक्रिया चरणों में भी हो सकती है। चुनाव का समय मिलाने से सरकार के कामकाज में आसानी होगी, खर्च कम होगा और बार-बार चुनाव से होने वाली बाधाएँ घटेंगी।

2024 में जारी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट ने इसे लागू करने का पूरा रोडमैप दिया। इस रिपोर्ट को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इससे चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। समर्थकों का मानना है कि इससे प्रशासन में तेज़ी आएगी, खर्च कम होगा और सरकारी नीतियों में स्थिरता बनी रहेगी। भारत अपना शासन सुधारने

Vol. 1, Issue 1 (May-June 2025)

Website: *www.ebmjer.journal.educrea.in* ***(Online)*** **Pages 11-17**

और लोकतंत्र में प्रगति लाने की दिशा में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" योजना को गंभीरता से देख रहा है। यह जरूरी है कि इस पर पूरी सोच-विचार और दलों का सहमति हो।

मुख्य शब्द: लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतदान, मंत्रिमंडल, "एक राष्ट्र, एक चुनाव", प्रशासन, चुनाव प्रक्रिया ।

प्रस्तावना:

भारत दुनियाभर में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और यहां पर 900 मिलियन से अधिक मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं। देश का डेमोक्रेसी सिस्टम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से मजबूत होता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 400 से अधिक चुनाव हो चुके हैं। यह ईवीएम और मतदाता मतदान में पारदर्शिता के प्रति निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हालांकि, चुनाव वर्षों से अलग-अलग स्थानों पर होते रहे हैं, जिससे प्रणाली जटिल और खर्चीली बन जाती है। लोकसभा और राज्यों के चुनाव को एक साथ कराना। ऐसा होने से मतदाता दोनों चुनाव एक ही दिन अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। वर्तमान चुनाव प्रक्रिया काफी जटिल है, जिसमें समय और संसाधनों की अधिक खपत होती है। हर साल औसतन 5 से 7 चुनाव वैश्विक स्तर पर होते हैं। एक साथ चुनाव कराने से देश का खर्च कम हो सकता है और समय की बचत भी होगी। कई बार देश में पूरे साल चुनावी वातावरण रहता है, जो बजट पर बोझ डालता है और प्रशासनिक व नीति निर्धारक कार्यों पर असर डालता है। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" को लागू करने से ये समस्याएं कम हो सकती हैं। इससे देश की लागत में कमी और शासन में सुगमता बढ़ेगी। सरकार ने इस योजना पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है, जिसने कई संवैधानिक बदलाव की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ताजा घटनाक्रम और विरोध-प्रायोजित बहस पर भी प्रकाश डालती है।

इतिहास और बदलाव की जरूरत:

भारत में चुनाव नियंत्रण के लिए 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। यह स्वतंत्र निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 324-329 के तहत देश में चुनाव कराता है। चुनाव आयोग का मुख्य लक्ष्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है। 1983 में चुनाव आयोग ने पहली बार साथ-साथ चुनाव का प्रस्ताव रखा। पहली बार 1951-52 में लोकसभा और सभी राज्य विधासनभाओं के चुनाव साथ-साथ हुए, और यह प्रक्रिया 1967 तक चली। इसके

Vol. 1, Issue 1 (May-June 2025)

Website: *www.ebmjer.journal.educrea.in* ***(Online)*** **Pages 11-17**

बाद, कई राज्यों के विधानसभा अवकाश से पहले ही भंग हो गए। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई। इन अस्थिरियों के कारण चुनाव अलग-अलग कराए जाने लगे, और साथ-साथ चुनाव का चक्र टूट गया। बार-बार चुनाव का खर्च सरकार पर आर्थिक बोझ डालता है।

देश में मतदाताओं की संख्या बड़ी है और विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों के कारण राजनीति जटिल हो गई है। चुनावों की अधिकता से सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ भी बढ़ती हैं, जैसे काले धन का प्रवाह। 2019 में भारत ने लोकसभा चुनाव पर लगभग 600 अरब रुपये खर्च किए। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष थे। इस समिति का काम था कि साथ-साथ चुनाव की उपयोगिता और संभवता का मूल्यांकन किया जाए। समिति ने चुनावी फोटो पहचान पत्र का सुझाव दिया, जो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में काम आएगा।

सुरक्षा बलों की भारी तैनाती चुनाव के दौरान जरूरी होती है, जिससे सरकार को खर्च बहुत बढ़ जाता है। यदि चुनाव समय पर किए जाएं, तो खर्च कम हो सकता है और संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो सकता है। बार-बार चुनाव होने से सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है और वह निर्णायक फैसले नहीं ले पाती। साथ-साथ चुनाव से सरकार को शासन में ध्यान देने का मौका मिलता है। इससे नीतियों और योजनाओं का स्थिरता से पालन हो सकता है।

हाल की घटनाएँ:

सामनांतर चुनाव पर बनी समिति 2 सितंबर 2023 को बनी, इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। इसका काम था जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए कि 2024 के चुनाव के बाद तय तारीख बनाई जाए और 2029 में नया चुनाव चक्र शुरू किया जाए। 17 दिसंबर 2024 को, संविधान (सौतेवां इक्यावनवां संशोधन) बिल 2024 लाया गया, जिसमें दोनों संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव था। इस बिल में संविधान में नए प्रावधान जोड़ने और 'मध्यावधि' चुनाव को मान्यता देने का सुझाव था। एक नया अनुच्छेद 82A भी शामिल किया गया, जिसमें चुनाव आयोग को अनुमति दी गई कि वह दोनों केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक साथ चुनाव कराए। आर्टिकल 83 में 'अधूरा कार्यकाल', 'मध्यावधि' और 'सामान्य चुनाव' की परिभाषा दी गई। अधूरा कार्यकाल का मतलब था जब लोकसभा या विधानसभाओं को 5 साल पूरे होने से पहले भंग कर दिया जाए। सरकार ने अवसंरचना में निवेश का सुझाव दिया, जैसे ईवीएम, वीवीपैट, मतदान केंद्र और सुरक्षा। उन्होंने ऐसा कानूनी ढांचा बनाने का सुझाव दिया, जो अस्थिर सरकारों या अविश्वास प्रस्ताव जैसी मामलों को नियंत्रित

कर सके। वोटरों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने का प्रस्ताव भी था ताकि वे चुनाव को बेहतर समझ सकें और आसान तरीके से भाग ले सकें। उन्होंने अनुछेद 172 में भी संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसमें विधान सभा के कार्यकाल की परिभाषा साफ की गई।

एक देश, एक चुनाव का समर्थन करने वाले तर्क:

- चुनाव का खर्च बहुत कम हो सकता है। हर साल 5 से 7 चुनाव होते हैं, जिन पर बहुत पैसा खर्च होता है। यदि सभी चुनाव एक साथ हो जाएं, तो यह खर्च घट सकता है।
- जब चुनाव की घोषणाएँ आती हैं, तब सरकार कई महीनों के लिए नई नीतियों को रोक देती है। इससे विकास कार्य रुक जाते हैं। समान चुनाव से यह समस्या खत्म हो सकती है और योजनाएँ जारी रह सकती हैं।
- केवल एक बार चुनाव होने से वोटर भागीदारी बढ़ सकती है। हर पांच साल में वोट डालने का मौका मिल सकता है।
- वोटर का समय और ऊर्जा बचती है। उन्हें साल में कई बार वोट डालना पड़ता है, जो उनके कामकाज में बाधा डाल सकता है।
- मध्यावधि चुनाव में बार-बार मतदान कराना संसाधनों की बर्बादी है। इसके लिए बदलाव जरूरी है।
- यदि चुनाव प्रणाली में बदलाव आता है, तो जनता में शांति और व्यवस्था कायम रह सकती है। रैलियों और झूठे वादों में कमी आएगी और पैसे की बर्बादी रुकेगी।

एक देश, एक चुनाव विपक्ष में तर्क:

भारत जैसे बड़े देश में, जहां 96.88 करोड़ मतदाता हैं, साथ-साथ चुनाव कराना बेहद मुश्किल है। इसमें भ्रष्टाचार रोकने और चुनाव सुगम बनाने के लिए कई अधिकारी और पुलिस तैनात करनी पड़ती है। इससे सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है।

- सामान्य चुनाव एकात्मक व्यवस्था को कमज़ोर कर सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के अपने कार्यक्षेत्र होते हैं, जो अलग-अलग मुद्दों से जुड़े रहते हैं। अलग चुनाव कराने से केंद्र विशेष शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता और राज्यों की स्वायतता बनी रहती है।

- भारत का समाज काफी ग्रामीण है। 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। ऐसे में एक साथ चुनाव होने पर मतदाताओं का निर्णय भ्रांतियों में फंस सकता है। उन्हें विभिन्न मुद्दों को समझने में दिक्कत हो सकती है। उनकी राजनीतिक जागरूकता कम होने के कारण वे आसानी से गलतफहमी में पड़ सकते हैं।

- इस योजना को लागू करने के लिए संविधान में कई महत्त्वपूर्ण संशोधन करने होंगे। जैसे, राज्यों के विधानसभा चुनाव और केंद्र के चुनाव को साथ-साथ करना करना, और बिना मंजूरी कोई दूसरा चुनाव कराने पर रोक लगाना। इसमें कई धाराओं में बदलाव करना जरूरी होगा।

- बार-बार चुनाव सरकार की नाकामियों को रोकने का जरिया हैं। यदि सत्ता का प्रयोग सही नहीं होता, तो सरकार को बदलना आसान रहेगा। अचानक संकट में, यदि चुनाव नहीं होते, तो सरकार मजबूर हो सकती है। इससे जनता की आवाज दब सकती है।

- क्षेत्रीय दलों को भी नुकसान हो सकता है। बड़े राष्ट्रीय दल की छवि और धन-संसाधनों का प्रभाव क्षेत्रीय दलों पर पड़ेगा। इससे उनकी पैठ कमजोर हो सकती है। उनकी जनता की उम्मीदें और क्षेत्रीय मुद्दे हाशिए पर पड़ सकते हैं।

संक्षेप में, वन नेशन, वन इलेक्ट्रॉन का विचार चुनाव को केंद्रित और लागत को कम करने का लक्ष्य रखता है। इससे सरकार की कार्यक्षमता बढ़ेगी और सुरक्षा की लागतें घटेंगी। इस योजना का इतिहास 1967 तक लंबा है, लेकिन सरकार की जल्दीबाजी में यह लागू नहीं हो सका।

इस सुधार का बड़ा लाभ है कि इससे खर्च कम होगा, चुनाव तेजी से नहीं होंगे और सरकारी कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। लेकिन इसमें अनेक चुनौतियां हैं। केंद्र और राज्य के अधिकार कम हो सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। वोटर भ्रमित हो सकते हैं, खासकर लोकल और राष्ट्रीय मुद्दों में।

संबंधित संविधान में कई बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी, जो आसान नहीं है। भारत जैसे देश में, जहां विविधता और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है, इस योजना का महत्व है। लेकिन इसकी सफलता के लिए व्यापक सहमति आवश्यक है। शुरुआत में कुछ क्षेत्रों में आंशिक पहले प्रयास किए जाएं। यदि यह सफल होता है, तो धीरे-धीरे पूरे देश में इसे लागू किया जाए।

Vol. 1, Issue 1 (May-June 2025)

Website: *www.ebmjer.journal.educrea.in* ***(Online)*** **Pages 11-17**

निष्कर्ष:

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत के चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन का आधार तैयार किया है। समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव समय को मिलाने की सलाह दी है, ताकि पुरानी समस्याओं का समाधान हो सके। बार-बार होने वाले चुनाव से होने वाली विघ्नबाधाओं और संसाधनों की बर्बादी को दूर किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से इन चुनावों को मिलाने की योजना और संविधान में बदलाव करके चुनाव सिस्टम को अधिक सुसंगत और स्थिर बनाया जा सकता है। यह विचार जनता और राजनीति दोनों के समर्थन से बढ़ रहा है। इससे भारत का लोकतंत्र सरल और प्रभावी होगा, और प्रशासन बेहतर ढंग से काम करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- एक राष्ट्र एक चुनाव -डॉ. सपना चड्ढा (2024)https://iipa.org.in/upload/Theme_Paper_2024.pdf
- एक राष्ट्र, एक चुनाव https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/dec/doc20241217473101.pdf
- एक राष्ट्र एक चुनाव: मतदाता से तुलनात्मक विश्लेषण ... https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5007991
- एक राष्ट्र एक चुनाव - कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय https://kslu.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/1nation1election.pdf
- एक राष्ट्र, एक चुनाव: भारत के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है | sprf https://sprf.in/wp-content/uploads/2021/02/7.2.2020_One-Nation-One-Election_What-it-Could-Mean-for-India.pdf

Vol. 1, Issue 1 (May-June 2025)

Website: *www.ebmjer.journal.educrea.in* ***(Online)*** **Pages 11-17**

• एक राष्ट्र एक चुनाव: एक व्यापक विश्लेषण और संभावित समाधान https://www.lawctopus.com/academike/one-nation-one-election-an-extensive-analysis-and-possible-solution/

• "एक राष्ट्र, एक चुनाव भारतीय राजनीति पर प्रभाव का विश्लेषण"